



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222844
CG-DL-E-30102020-222844

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3435]
No. 3435]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/ कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/ KARTIKA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3889(अ).—यतः केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना स.का.आ. 2004 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश में कि.मी. 323.745 से 351.000 (बलरामपुर - तुलसीपुर) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 730 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 730 डिजाइन कि.मी. 323.745 से 351.000 (वर्तमान कि.मी. 323.745 से 351.000) (बलरामपुर - तुलसीपुर सेक्शन) तक के खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कालम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 27.151 कि.मी. की दो लेन/पेव्ड शोल्डर सहित निवल सड़क खण्ड लम्बाई तथा 1.04 कि.मी. (0.104 कि.मी.) की समतुल्य संरचना लम्बाई (60 मीटर से अधिक की लम्बाई) के लिए तालिका 1 के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत पर यांत्रिक वाहन से फ्रीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फ्रीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन के प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति कि.मी. आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय (एमएवी) (4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेह होगी, अर्थात:-

तालिका -2

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
राष्ट्रीय राजमार्ग - 730 पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बड़गांव गाँव, पो०-तुलसीपुर, पी.एस. तुलसीपुर के निकट कि.मी. 346+950 पर	27.151 कि.मी. (बाईपास की लंबाई (लागत >10 करोड़ रु.) और संरचना की लंबाई (>60m) को छोड़कर)	2 लेन/पेव्ड शोल्डर के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

2. उपयुक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका -3

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किये जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर, जिस पर फीस संदेय है।
राष्ट्रीय राजमार्ग - 730 पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बड़गांव गाँव, पो०-तुलसीपुर, पी.एस. तुलसीपुर के निकट कि.मी. 346+950 पर	0.104	1.04	2 लेन/पेव्ड शोल्डर के लिए उक्त तालिका - 1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

*संरचनाओ (>60 मीटर लंबाई) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	चैनेज शुरू किमी से	चैनेज समाप्त कि.मी. तक		
1.	332.492	332.596	मुख्य पुल	0.104
	कुल लम्बाई			0.104

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00 रु. (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) होगी और यह नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका-4

संदेय राशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. सम्बन्धित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार के अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिये टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के लिए उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1 क में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खण्ड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमन्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होगी।

8. शुल्क की दरें उक्त नियमों के नियम - 12 के अनुसरण में उपयोगकर्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी हो गयी लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रु 212.99 करोड़ है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किये जाने हैं। प्राप्त शुल्क के माध्यम से वसूल की गयी पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात उद्वाह फीस घटाकर दरों के 40 प्रतिशत तक कर दी जाएगी और कथित नियमों की अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. CE-RO/LKO/730/UP/2017-18/558(PartFile)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

S.O. 3889(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (number S.O. 2004 (E) dated 30th August, 2012) issued under Section 5 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from kilometre 323.745 to Kilometer 351.000 (Balrampur - Tulasipur Section) of National Highway No. 730 in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty per cent of the base rate (for use of two lane with paved shoulder section) specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 27.151 Km. and for equivalent structure length (having length more than 60m.) of 1.04 Km. (having length of 0.104 Km.) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Balrampur - Tulasipur Section from design Kilometer 323.745 to kilometer 351.000 (existing Km. 323.745 to Km. 351.000) of National Highway number 730 in the State of Uttar Pradesh and authorises the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 346.950 of NH-730 near village Badgawn, PO Tulsipur, PS Tulsipur in Balrampur district of State of Uttar Pradesh	27.151 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	60% for two lane/ two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Km/Ch. 346.950 of NH-730 near village Badgawn, PO Tulsipur, PS Tulsipur in Balrampur district of State of Uttar Pradesh	0.104 Km [^]	1.04	60% for two lane/ two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From km	To km		
1	332.492	332.596	Major Bridge	0.104
	Total			0.104

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five Only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 212.99 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. CE-RO/LKO/730/UP/2017-18/558(PartFile)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.